उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1728/रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
रॉची।

बोकारो, दिनांक 11/07/2020

विषयः– मनुवा खातुन, ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–127 का निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची से ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–127 (मनुवा खातुन) का अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–04/2020 का विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 09.07.2020 को निष्पादित कर दिया गया है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–04/2020

(मनुवा खातुन बनाम् जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य)

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

9/8/20

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदिका मनुवा खातुन उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित।

आवेदिका मनुवा खातुन, पति स्व0 ताहिर साह, ग्राम–जरीडीह, पूर्वी पंचायत, प्रखंड–बेरमो, जिला–बोकारो ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भरत प्रसाद सिन्हा, लाईसेन्स संख्या–264–84 के द्वारा राशन कार्ड अपने पास रख लिये जाने एवं कम राशन दिये जाने तथा आधार कार्ड अपलोड करने हेतु 200.00 रू0 की मांग की गई है, के संबंध में शिकायत आवेदन वाट्सएप के माध्यम से खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग को ऑनलाईन द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा राशन कार्ड संख्या–202001970936 की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कार्यालय पत्रांक 897/आ0, दिनांक 09.07.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि बेरमो प्रखंड अन्तर्गत जरीडीह पूर्वी पंचायत में जन वितरण प्रणाल के विक्रेता भरत प्रसाद सिन्हा के खिलाफ सुदामा देवी पति स्व0 जमुना साव तथा मनुवा खातुन पति मो0 ताहिर की शिकायत की जॉच कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) अंचल अधिकारी, बेरमो के साथ की गई। मनुवा खातुन के कथनानुसार डीलर भरत प्रसाद सिन्हा विगत एक वर्ष से उसका राशन कार्ड अपने पास रखा हुआ है। चूॅकि परिवार में 12 सदस्य हैं तथा उनके पति मो0 ताहिर का दिसम्बर 2019 में देहांत हो गया है, किन्तु अगस्त 2019 से नवम्बर 2019 तक प्रतिमाह सिफ 10 किलोग्राम खाद्यान्न ही दिया गया है। लॉकडाउन में अप्रैल एवं मई का 60–60 किलोग्राम करके खाद्यान्न दिया है।

इस संबंध में उपस्थित वार्ड सदस्य मो0 मिराज ने बताया कि करीब 1½ वर्ष पूर्व मनुवा खातुन में उक्त शिकायत की थी और उनके द्वारा डीलर से पूछे जाने पर बताया गया कि आधार लिंक के अनुरूप खाद्यान्न का वितरण मेरे द्वारा की गई है। उपरोक्त शिकायत के संबंध में विक्रेता भरत प्रसाद सिन्हा का कहना है कि मनुवा खातुन के पति द्वारा स्वयं अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कराया गया है, जिसका आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। डीलर द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिमाह 60 किलोग्राम का वितरण किया गया है। ऑनलाईन निर्गत सूची में भी मनुवा खातुन को प्रतिमाह 60 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण किया गया है। जॉच के क्रम में अन्य लाभुकों से भी पूछताछ करने पर पाया गया कि सभी लाभुकों को पूरा राशन दिया गया है।

इस संबंध में जब डीलर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिन लाभुकों के पास उसका मूल आधार कार्ड उपलब्ध नहीं रहता है, उसकी

9/8

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

छाया प्रति पर भी मुखिया के अनुशंसा मात्र से उनके द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता है। आवेदक मनुवा खातुन के कथन, जनवितरण प्रणाली के ऑनलाईन वितरण सूची के अवलोकन तथा जनवितरण के विक्रेता के कथन आदि के विवेचन से खाद्यान्न वितरण एवं मात्रा की अनियमितता का आरोप सिद्ध नहीं होता है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो ने भी अपने जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया है कि राशन कार्ड के लाभुकों का आधार कार्ड अपलोड जनवितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा नहीं किया जाता है। शिकायतकर्त्ता के राशन कार्ड में 12(बारह) सदस्य का नाम दर्ज है, जिसमें से सिर्फ दो व्यक्तियों का ही आधार अपलोड है। शेष 10 व्यक्तियों का आधार कार्ड अपलोड करने हेतु आधार की मांग लाभुक से की जाती रही है, परन्तु उनके द्वारा अभी तक आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में उसी क्षेत्र के अन्य राशन कार्ड धारी लाभुकों से भी संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार के संबंध में पूछताछ की गयी। किसी भी कार्डधारी के द्वारा संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार की शिकायत नहीं की गयी।

इस संबंध में न्यायालय में उपस्थित शिकायतकर्त्ता मनुवा खातुन द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि मैं अपना शिकायत वापस ले रही हूँ, जिसका साक्ष्य अभिलेख में संधारित है।

अतः तथ्यों के आलोक में प्रतीत होता है कि कार्डधारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है।

इसी आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, बोकारो
—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

अपर समाहर्त्ता, बोकारो।
—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।